क्रमांक 950-ज(II)-83/23461.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री उदेय सिंह, पुत्र श्री हरदे राम, गांव माजरा दूबलधन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 819-ज(II)-83/23465.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948(जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सन्तु राम, पुत्र श्री ध्यो राम, गांव बुवाना, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 25 जुलाई, 1983

क्रमांक 662-ज(II)-83/23844.—श्री सूरत सिंह, पुत्र श्री मान सिंह, गांव सिसला, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र, की दिनांक 16 जनवरी, 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सूरत सिंह को मुब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1939-ज-II-77/29621, दिनांक 24 नवम्बर, 1977 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भरपाई के नाम रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 895-ज(II)-83/23851.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 546-ज(II)-83/15494, दिनांक 12 मई, 1983 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 31 मई, 1983 को प्रकाशित हुई है की चौथी लाईन में "रबी, 1978 से खरीफ, 1979" तक की बजाए "रबी, 1973 से खरीफ, 1979" तक पढ़ा जाये।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

Order

The 23rd July, 1983

No. 12293/2-L.—Whereas the Land described in the Haryana Government Notification No. 2883/1-L, dated 12th March, 1980 issued under section 6 for the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Haryana Government for a public purpose, namely, for Remodelling Ujina Drain from R. D. 96080 to tail 116000, in Village Alawalpur, Bajhera, Kalanjar in Tehsil Hathin, district Faridabad.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Irrigation Department, Haryana, Karnal to take action for the acquisition of Land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

By Order of the Governor of Haryana.

O. P. SEHGAL,

Superintending Engineer,
Ujina Diversion Drain Circle No.II,
Gurgaon.